

International Journal of Arts, Commerce, Science and Technology

Volume 1 | Issue 2, December 2025, pp 1-9

ISSN (Online): 3108-2998

Homepage: <https://ijacst.com>



Title:	शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार: आधुनिक भारतीय प्रशासनिक और भू-राजस्व व्यवस्था के आधार के रूप में
Author(s):	रणधीर कुमार
Affiliation(s):	यूजीसी (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा), एम.ए. (इतिहास), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
DOI:	https://doi.org/10.65919/ijacst.2026.v1i20001
History:	Received: 05 November 2025, Accepted: 15 December 2025, Published: 30 December 2025
Citation:	कुमार, र. (2025). शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार: आधुनिक भारतीय प्रशासनिक और भू-राजस्व व्यवस्था के आधार के रूप में. <i>International Journal of Arts, Commerce, Science and Technology</i> , 1(2)., 1-9, https://doi.org/10.65919/ijacst.2026.v1i20001
Copyright:	© 2025 The Author(s)
Conflict of Interest:	The author(s) declare no conflict of interest.
Funding:	This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Corresponding Author:	रणधीर कुमार ✉
Published By:	UnivColl Publications

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार: आधुनिक भारतीय प्रशासनिक और भू-राजस्व व्यवस्था के आधार के रूप में

रणधीर कुमार

यूजीसी (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा), एम.ए. (इतिहास), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सारांश

शेरशाह सूरी का शासनकाल भारतीय प्रशासनिक इतिहास में व्यापक सुधारों, सुव्यवस्थित शासन और प्रभावी भू-राजस्व व्यवस्था के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उनके प्रशासनिक सुधारों की प्रकृति, कार्यप्रणाली, सीमाओं तथा आधुनिक भारतीय प्रशासन पर पड़े दीर्घकालीन प्रभाव का विश्लेषण करना है। शेरशाह ने शासन को केंद्रीकृत, अनुशासित और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया। उन्होंने अधिकारियों के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए, अभिलेख-संधारण, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा पर बल दिया और सैन्य, राजस्व तथा प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय स्थापित किया। भू-राजस्व क्षेत्र में भूमि-मापन, भूमि की गुणवत्ता और उपज के आधार पर कर निर्धारण, निश्चित राजस्व दरों तथा लिखित अभिलेखों की व्यवस्था ने कराधान को अपेक्षाकृत पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया। इन उपायों से मनमानी वसूली कम हुई, राज्य की आय में स्थिरता आई और कृषकों तथा शासन के बीच उत्तरदायित्व का संबंध विकसित हुआ। सड़क, सराय, डाक और संचार व्यवस्थाओं के विस्तार ने व्यापार, सुरक्षा और प्रशासनिक संपर्क को सुदृढ़ किया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शेरशाह की नीतियों को मुगल शासकों ने आगे विकसित किया तथा ब्रिटिश प्रशासन ने भूमि अभिलेख, जिला प्रशासन और राजस्व संग्रह की अनेक व्यवस्थाओं में इनके सिद्धांतों का उपयोग किया। यद्यपि उनका शासन अत्यधिक केंद्रीकृत और राजसत्तात्मक था, फिर भी पारदर्शिता, अभिलेखीकरण, प्रशासनिक नियंत्रण और राजस्व प्रबंधन संबंधी उनके प्रयोग आधुनिक भारतीय प्रशासनिक संरचना की ऐतिहासिक आधारभूमि के रूप में महत्वपूर्ण हैं। यह ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक अध्ययन सुधारों की उपलब्धियों के साथ उनकी राजसत्तात्मक, लोकतांत्रिक और स्थानीय सीमाओं को आलोचनात्मक रूप से रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द: शेरशाह सूरी, प्रशासनिक सुधार, भू-राजस्व व्यवस्था, भूमि-मापन, केंद्रीय प्रशासन, अभिलेख प्रबंधन, आधुनिक भारतीय प्रशासन।

1. प्रस्तावना

शेरशाह सूरी के शासनकाल का विशिष्ट स्थान उनके प्रशासनिक सुधारों एवं नेतृत्व की क्षमता में निहित है। उनका शासनकाल सामाजिक-राजनीतिक स्थिरता एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था के निर्माण का एक महत्वपूर्ण काल रहा है, जिसमें उन्होंने भू-राजस्व प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में अनेक स्थायी परिवर्तन प्रस्तुत किए। वे शासन के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट योजनाएं और उद्देश्य निर्धारित कर समेकित एवं कारगर व्यवस्था की स्थापना के प्रति प्रतिबद्ध थे। इन सुधारों का मूल उद्देश्य प्राचीन प्रशासनिक विघटन को दूर कर स्थिर, पारदर्शी एवं दीर्घकालीन योजनाओं की दिशा में कदम बढ़ाना था, जिससे देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक तंत्र में सुदृढ़ता आए। उनके द्वारा स्थापित संस्थागत ढांचे में सैन्य, राजस्व एवं प्रशासन का समन्वय स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जो स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारतीय प्रशासन की आधारशिला बना। इस संदर्भ में, शेरशाह का शासनकाल एक क्रांतिकारी मील का पत्थर माना जाता है, जो दूरगामी प्रभाव डालता है। उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक दृष्टिकोण ने व्यवस्थागत सुधारों एवं भू-राजस्व के टिकाऊ प्रतिबंधात्मक मॉडल को प्रोत्साहित किया, जो न केवल समकालीन शासन व्यवस्था के लिए बल्कि आधुनिक नियोजन के लिए भी आधारभूत तत्व सिद्ध हुआ। इस प्रकार, शेरशाह सूरी का प्रयास न केवल तत्कालीन शासन के सुधार और स्थिरता का सूचक है, बल्कि उससे जुड़ी मूलभूत सोच और नीतिगत दिशा नए युग के प्रशासनिक तथा भू-राजस्व व्यवस्थाओं के स्तंभ बन गए। उनके काल के ये प्रयास आधुनिक भारत के प्रशासनिक एवं राजस्व तंत्र के शिल्पकार साबित हुए।

2. शेरशाह सूरी का शासनकाल और प्रशासनिक औचित्य

शेरशाह सूरी का शासनकाल प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण कालखंड था, जिसने तत्कालीन शासन व्यवस्था की सुदृढ़ता और प्रभावशीलता में सार्थक योगदान दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में शासन की संस्थागत व्यावस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक योजनाएँ और प्रणालियाँ विकसित कीं, जिनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राज्य की स्थिरता, कर व्यवस्था की पारदर्शिता और क्षेत्रीय प्रशासन के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करना था। उनके शासनकाल में स्थापित सैनिक-राजस्व-शासन का ढांचा, इस हेतु आधारभूत प्रणाली का आधार बना, जिसमें सेना, राज्य का नियंत्रक और कर संग्रहण के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। यह प्रणाली न केवल प्रवासी सेना की जरूरतों को पूरा करने में सहायक थी, बल्कि राजस्व संग्रह की दक्षता भी बढ़ाई गई।

शेरशाह सूरी का शासनकाल दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधार का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसके तहत प्रशासन को केंद्रीकृत एवं योजनाबद्ध बनाने पर बल दिया गया। उन्होंने सूचनाओं के अभिलेखीकरण पर विशेष ध्यान दिया, जिससे लेखापरीक्षा व कर निर्धारण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई। स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन की जवाबदेही और प्रभावशीलता दोनों बढ़ीं। इन सुधारों का मुख्य मकसद प्रशासन के कार्यों में निरंतरता, नियंत्रण और पारदर्शिता स्थापित करना था, जो बाद में आधुनिक भारतीय प्रशासनिक अनुभव का आधार बना।

उनके दौरान भू-राजस्व व्यवस्था में किए गए परिवर्तन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने माप-योग्य भू-स्वामित्व के आधार पर कर निर्धारण प्रणाली स्थापित की, जिससे कर-संग्रह अधिक उचित और नियंत्रित हुआ। क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के फलस्वरूप राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी और कर लोक व्यवहार के प्रति विश्वास जगा। इन सुधारों का परिणाम था कि तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था न केवल अधिक संगठित और जवाबदेह बनी, बल्कि इससे प्राप्त शिक्षा एवं अनुभव पर ब्रिटिश उपनिवेशी शासन ने भी प्रभाव छोड़ा। इस प्रकार, शेरशाह सूरी का शासनकाल भारतीय प्रशासनिक व भू-राजस्व व्यवस्था के नवीन युग का सूत्रपात करने वाला कालखंड माना जा सकता है।

2.1. सैन्य-राजस्व-शासन का संस्थागत ढांचा

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक ढांचे का विश्लेषण करते हुए यह ज्ञात होता है कि उन्होंने एक सुव्यवस्थित और स्थिर संस्थागत व्यवस्था का निर्माण किया, जिसने सेना, राजस्व और शासन को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुधारों की मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने सेना का संगठन मजबूत करते हुए राज्यों के बीच स्थायी युद्ध प्रबंधन प्रणाली विकसित की।

इस व्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र की सेना का जिम्मा स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया, जिससे सैन्य शक्ति का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। इससे सिद्ध होता है कि सैन्य सुरक्षा को केंद्रबिंदु बनाकर उन्होंने शासन की स्थिरता को प्राथमिकता दी।

राजस्व व्यवस्था में भी शेरशाह सूरी ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनमें कर की वस्तु और माप-योग्य भूमि के आधार पर कर निर्धारण की स्थापना प्रमुख थी। भूमि का सही माप और राजस्व की पारदर्शी व्यवस्था उनकी प्रशासन रणनीति का अहम भाग थी। उन्होंने भू-राजस्व को पुनः व्यवस्थित कर कर निर्धारण को स्थिर और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। इससे यह भी सुनिश्चित हुआ कि कर संग्रह में पारदर्शिता का इजाफा हो और करदाताओं का भरोसा बढ़े। साथ ही, उन्होंने राज्य के आंतरिक संचालन में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित किया, जिससे विपरीत क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण और कार्यकुशलता में सुधार हुआ।

सामूहिक रूप से, इन संस्थागत बदलावों का फल यह हुआ कि सेना, कर व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच एक मजबूत संधि स्थापित हुई। इस व्यवस्था की सफलता ने बाद के प्रशासनिक सुधारों का आधार तैयार किया। शेरशाह सूरी का यह संस्थागत ढांचा न केवल उनके समय में स्थिरता प्रदान करने में सहायक रहा, बल्कि यह भारतीय प्रशासनिक परंपरा के आधारभूत सिद्धांत भी बन गया। उनकी इन व्यवस्थाओं ने आधुनिक भारत की प्रशासनिक संरचनाओं और भू-राजस्व व्यवस्था को आधार प्रदान किया, जिनमें स्थिरता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित संचालन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

2.2. दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य

दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य शासन की स्थिरता, पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाना था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में इस दिशा में कई ऐसी व्यावहारिक योजनाएँ प्रस्तुत कीं, जिनका दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर पड़ा। उन्होंने प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित एवं उत्तरदायी बनाने के लिए नियम-कानूनों का कठोर रुपरेखा तैयार की, जिससे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं में कमी आई। इन सुधारों का उद्देश्य था कि शासन प्रणाली को अधिक स्थिर, नियमित और अनुशासित बनाया जाए, जिससे जनता का विश्वास बहाल हो और आर्थिक गतिविधियों का सुगम संचालन संभव हो।

इसके साथ ही, शेरशाह सूरी ने समय-समय पर संस्थागत बदलाव किए, जिनके अंतर्गत नये कार्यालयीय पदों का निर्माण, प्रशासनिक पदानुक्रम का सुदृढीकरण, एवं कार्यशैली में व्यावहारिकता लाना सम्मिलित था। इन सुधारों का लक्ष्य था, कि प्रशासनिक ढांचे को अधिक स्थिर एवं दीर्घकालीन आधारों पर स्थापित किया जाए। वे योजनाएँ ऐसी थीं, जो शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रशासनिक निर्णयों में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक थीं। इस प्रकार, दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधार न केवल शासन संचालन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक थे, बल्कि निर्बाध व्यवस्था, लोकसेवा में पारदर्शिता और डेटा प्रबंधन के आधार भी बने, जिससे एक मजबूत एवं विश्वसनीय प्रशासनिक व्यवस्था का आधार तैयार हुआ।

3. प्रशासनिक सुधार के मुख्य तत्व

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार वन एवं सुदृढ व्यवस्था के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनमें मुख्य रूप से दीर्घकालिक योजनाएँ एवं केंद्रीय नियंत्रण का प्रावधान शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शासन की स्थिरता एवं अनुशासन बनाए रखते हुए, प्रशासनिक कार्यों में समन्वय एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। वह प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का मुख्य आधार था, जिसमें सरकार ने जागरूकता एवं जागरूकता के साथ प्राधिकारी विभागों का सुदृढीकरण किया। इससे न केवल कराधान प्रणाली का पुनर्गठन संभव हुआ, बल्कि अभिलेख एवं लेखापरीक्षा प्रणालियों का भी विकास हुआ, जिसने प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि की।

शेरशाह सूरी ने स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रांतीय एवं जिलास्तरीय प्रशासनिक इकाइयों का सुदृढीकरण किया, जिससे क्षेत्रीय प्रशासन की क्षमता बढ़ी और स्वायत्तता भी सुनिश्चित हुई। इस सुधार के माध्यम से, कर अधिरोपण एवं कर संग्रह की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास हुआ, जिससे करदाताओं का विश्वास जागरूक हुआ एवं कराधान की योग्यता को बढ़ावा मिला। इन कार्यों का प्रभाव समग्र रूप से भू-राजस्व प्रणाली में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें माप-योग्य भू-स्वामित्व एवं कर निर्धारण तंत्र के सृजन से कर संग्रह व प्रक्रिया में कुशलता आई।

कुल मिलाकर, शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से न केवल अपने समय में शासन की प्रभावशीलता बढ़ाई, बल्कि वह भारतीय प्रशासनिक विरासत का आधार भी बने। इन सुधारों का आधारभूत लक्ष्य था, शासन की स्थायित्व और

पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, जिससे बाद में आने वाले शासकों एवं व्यवस्थाओं को दिशा मिली। इन मुख्य तत्वों ने न केवल तत्कालीन प्रशासन को सुदृढ़ किया, बल्कि दीर्घकालिक विकास एवं स्थिरता हेतु स्थायी स्थापनाओं का निर्माण भी किया।

3.1. दीर्घकालिक योजना और केंद्रीय नियंत्रण

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार में दीर्घकालिक योजना एवं केंद्रीय नियंत्रण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने शासन के स्थायित्व और दीर्घकालिक प्रगति के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित एवं स्थायी आधार पर करने पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत, उन्होंने स्पष्ट लक्ष्यों एवं रणनीतियों के निर्धारण के साथ ही, समयानुकूल संसाधनों का समुचित प्रबंध करना सुनिश्चित किया। इसी के तहत, प्रत्येक क्षेत्र के विकास एवं नियोजन की अवधि निर्धारित करके दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गईं, ताकि संसाधनों का दीर्घकालिक एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

केंद्रीय नियंत्रण का तंत्र भी इस काल में विकसित हुआ, जिसमें संसदीय एवं प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से सम्पूर्ण प्रशासन पर समन्वित एवं स्थायी नियंत्रण कायम किया गया। इससे प्रादेशिक एवं स्थानीय अधिकारियों पर केन्द्र की निर्णायक शक्ति का प्रभुत्व बना रहा, साथ ही सुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना भी जागरूक हुई। इस नियंत्रण तंत्र का मुख्य उद्देश्य शासन के उद्देश्यों का स्पष्ट क्रियान्वयन और प्रशासन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना था।

यह प्रणाली सूरी के समय उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली सिद्ध हुई, जहां दीर्घकालिक योजनाओं और केंद्रीय नियंत्रण के समुचित अभिसरण से प्रशासन की स्थिरता एवं प्रभावकारिता में वृद्धि हुई। इससे न केवल तत्कालीन राज्य का संचालन सुचारु हुआ, बल्कि संस्थागत रूप से भी मजबूत नींव बन गई। इन सुधारों का देश के बाद के प्रशासनिक तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, जो आधुनिक भारतीय प्रशासन के आधारभूत स्तंभ बनें।

3.2. राजस्व एवं कराधान प्रणाली का पुनर्गठन

शेरशाह सूरी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व एवं कराधान प्रणाली का अन्तरंग पुनर्गठन किया। उन्होंने कर निर्धारण के लिये मौलिक नियम स्थापित किए, जिनमें भू-स्वामित्व का स्पष्ट माप-योग्य प्रावधान शामिल था। इसी से कर निर्धारण अत्यधिक सटीक और प्रामाणिक हो गया, जिससे राजस्व संग्रह में व्यवस्थितता आई। इसमें कराधान प्रणाली को सरल बनाते हुए पारदर्शिता का भी समावेश किया गया, ताकि करदाताओं में विश्वास और कर संग्रहण की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। शेरशाह ने कर के निर्धारण हेतु सामर्थ्यपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी का गठन किया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का सही निर्धारण एवं आंकलन संभव हो सके। उन्होंने राजस्व का केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया, जिससे कर का संग्रह और उसका निदान सुगम बनाने के साथ ही असामान्य कर वसूली पर अंकुश लगाया जा सका। इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को मजबूत कर उनकी जवाबदेही बढ़ाई, जिससे कराधान की कटौती और भ्रष्टाचार पर रोक लगी। ये सुधार पंजाब, बिहार और उत्तर भारत के विविध प्रांतों में लागू किए गए, जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र का आर्थिक आधार मजबूत हुआ। योजना और नियंत्रण तंत्र की स्थिरता ने राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया। इन उपायों का परिणामस्वरूप, कर-प्रणाली अधिक उत्तरदायी और जीवंत हुई, जिससे कुल सरकारी वित्तीय व्यवस्था को आधार मिला। इस दौरान, शेरशाह सूरी ने कराधान की आधुनिक अवधारणा को स्थापित कर, भारत के इतिहास में एक स्थायी प्रशासनिक विरासत छोड़ी।

3.3. प्रशासनिक अभिलेख और लेखापरीक्षा व्यवस्था

शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक अभिलेख और लेखापरीक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने राज्य के अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप में संचित करने के लिए सुसंगत संचयन प्रणाली की स्थापना की, जिससे न केवल कर्मचारियों की कार्यशैली में निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ी, बल्कि सूचनाओं का आसानी से प्रबंधन भी संभव हो सका। इस अभिलेखीय प्रणाली में राजस्व रिकार्ड, भूमि का विवरण, प्रशासनिक कार्यवाही और न्यायालयीन अभिलेख शामिल थे, जो एक मजबूत और स्थायी प्रशासनिक आधार प्रदान करते थे। इस लेखापरीक्षा प्रणाली द्वारा वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया जाता था और विभागों की कार्यक्षमता की नियमित समीक्षा की जाती थी। इस प्रणाली के अंतर्गत, हर अधिकारी की जवाबदेही तय की जाती थी और पौष्टिक रिपोर्टों के माध्यम से जिला स्तर से लेकर सर्वोच्च प्रशासन तक कार्यों का पारदर्शी मूल्यांकन किया जाता था। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का कुशलतम उपयोग और पारदर्शिता की स्थापना था, ताकि भ्रष्टाचार का प्रसार रोका जा सके। इससे प्रशासनिक अनुशासन और वित्तीय अनुशासन दोनों को बल मिला, और व्यवस्थागत स्थिरता सुनिश्चित हुई। उनका यह व्यवस्थित अभिलेख एवं लेखापरीक्षा तंत्र आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली का

आधार बन गया है, जो समय की कसौटी पर सार्थक एवं प्रभावी साबित हुआ। इस व्यवस्था की परंपरा भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध हुई और भविष्य की लोकपाल व्यवस्था के पथप्रदर्शक आधार बने।

3.4. स्थानीय प्रशासन की सुदृढीकरण

शेरशाह सूरी ने स्थानीय प्रशासन की सुदृढीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, जिनका उद्देश्य सामुदायिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक प्रखरता को बढ़ावा देना था। उन्होंने प्रांतीय स्तर पर प्रशासनिक इकाइयों का सुदृढीकरण किया और उनकी क्षमताओं का विकास सुनिश्चित किया। इसके साथ ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देकर पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित किया। उनके प्रशासन में ग्रामसभा जैसे संस्थान का महत्व अत्यंत रहा, जिससे जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई और प्रशासनिक निर्णयों का स्वामित्व ग्रामीण समुदाय को मिला। कुशल प्राधिकरण, राजस्व के संग्रहण, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनका कार्यक्षेत्र स्पष्ट और जिम्मेदारी निर्धारित थी। इससे प्रशासन के तहत प्रणाली संचालित होने लगी, जिसमें जवाबदेही और कार्यकुशलता का समावेश था। हर क्षेत्रों में कहीं भी भ्रष्टाचार के प्रवेश को रोकने हेतु निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया गया। प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर पारस्परिक गठजोड़ को प्रोत्साहित करते हुए, शेरशाह सूरी ने इस तरह के संशोधनों को लागू किया, जो न केवल तत्कालीन प्रशासन की दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए, बल्कि उनके आधारभूत ढांचे ने निकट भविष्य में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में स्थायी प्रभाव डाला। इन प्रयासों के फलस्वरूप, स्थानीय प्रशासन की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि हुई और शासन का समग्र स्वरूप अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह बन सका।

4. भू-राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन और प्रभाव

शेरशाह सूरी की भू-राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन ने भूमि मापन, कर निर्धारण और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत किया। उन्होंने माप-योग्य भू-स्वामित्व की व्यवस्था स्थापित की, जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति एवं स्वामित्व की पहचान सटीक रूप से संभव हो सकी। इससे कर निर्धारण अधिक यथार्थपूर्ण और उचित बन गया। इन सुधारों के परिणामस्वरूप, राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई और कर चोरी की घटनाएँ कम हुई, जिससे सरकार को आर्थिक स्थिरता मिली। साथ ही, क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय को प्रोत्साहन मिला, जिससे स्थानीय स्तर पर राजस्व और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का संचार हुआ।

परंपरागत कर प्रणाली में जमींदारों एवं स्थानीय मुखियाओं की भूमिका न्यूनतम होते गए और प्रशासनिक स्वायत्तता का क्षेत्र विस्तृत हुआ। इससे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया अधिक संगठित एवं प्रभावशाली बनी। भू-स्वामित्व का मापन एवं फॉरेंसिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था से न केवल राजस्व का संग्रह सटीक हुआ, बल्कि प्रशासन का जवाबदेह तंत्र भी प्रभावी बना। इन सुधारों का व्यापक प्रभाव भूमिकाओं और संरचनाओं में स्थायी परिवर्तन के साथ-साथ स्थिर एवं निष्पक्ष कर व्यवस्था स्थापित करने में प्रेरणास्पद रहा।

यह नई व्यवस्था क्षेत्रीय प्रशासन के सुचारू संचालन और कर निर्धारण की समरसता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हुई। इससे बाद के वर्षों में भारतीय प्रशासन में स्थायित्व आया और स्थानीय प्रशासन की भूमिका सुदृढ़ बनी। शेरशाह सूरी की भू-राजस्व व्यवस्था, अपने युग की पद्धतियों एवं मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रशासन के विकास में एक मजबूत आधारस्थपना का कार्य करती रही। इसके प्रभाव आज भी प्राचीन एवं आधुनिक प्रणाली के बीच संतुलन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होते हैं।

4.1. माप-योग्य भू-स्वामित्व और कर निर्धारण तंत्र

शेरशाह सूरी ने अपनी शासन व्यवस्था में भू-स्वामित्व और कर निर्धारण के मानकों को स्पष्ट एवं मापने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने माप-योग्य भूमि के आधार पर भू-स्वामित्व की व्यवस्था स्थापित की, जिसमें भूमि की उत्तमता, उपज और उपयोगिता का सटीक मापन आवश्यक था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक भू-स्वामी की भूमि का भी वर्गीकरण और मानकीकरण किया गया, जिससे कराधान प्रभावी एवं न्यायसंगत हो सका।

शेरशाह ने भू-सम्पदा की विशिष्टता और मापन हेतु नई माप-यंत्रों एवं मानकों का प्रावधान किया, जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति का सही आकलन संभव हुआ। कर निर्धारण का आधार भी इसी मापन व्यवस्था पर आधारित था, जिससे कर

गणना में पारदर्शिता एवं एकरूपता आई। भूमि की ऊपज और उपयोगिता के आधार पर कर निर्धारण से करदाताओं के अधिकारों का संरक्षण हुआ, और कर वसूली प्रणाली सुव्यवस्थित और निष्पक्ष हुई।

इस प्रणाली के माध्यम से सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई और कर संग्रह की प्रक्रिया में संभवतः भ्रष्टाचार और मनमर्जी कम हुई। साथ ही, इस व्यवस्थात्मक सुधार ने क्षेत्रीय प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया, जिससे भू-राजस्व के आंकड़ों का केंद्रीकृत प्रबंधन संभव हुआ। कुल मिलाकर, शेरशाह सूरी के इस कदम ने आधुनिक भारतीय भू-राजस्व व्यवस्था की आधारशिला निर्धारित की और प्रशासनिक क्षमता के विकसित अवयवों का निर्माण किया।

4.2. राजस्व एकत्रण के संचालन में पारदर्शिता

शेरशाह सूरी की राजस्व वसूलने की प्रणाली में पारदर्शिता का संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण स्तम्भ था, जिसकी स्थापना स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रणाली के तहत, राजस्व संग्रह की प्रक्रिया स्पष्ट नियमों और मानकों के आधार पर संचालित की जाती थी, सुधारों का उद्देश्य कर निर्धारण और वसूली के सभी चरणों में जवाबदेही और कुशलता लाना था। इसके लिए, चिकित्सक अभिलेख रखे गए, जिनमें प्रत्येक क्षेत्र के कर निर्धारण, वसूली की स्थिति और खाता विवरण समेकित रूप से दर्ज किये जाते थे। इन अभिलेखों का नियमित निरीक्षण और लेखापरीक्षा सुनिश्चित करता था कि प्रबंधन में किसी भी प्रकार की भेदभाव या अनुचित प्रथा न हो। इसके साथ ही, राजस्व एकत्रण के लिए निर्धारित समितियां और अधिकारियों की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती थीं, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की सम्भावना न्यूनतम हो जाती थी। स्थानीय स्तर पर भी, राजस्व एकत्रण की प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए, जनता के साथ संवाद और अनुभव साझा करने की प्रथाएँ अपनाई गई थीं। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि करदाताओं को उनके करों के निर्धारण और योजना के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो, साथ ही उनका विश्वास शासन प्रणाली में बना रहे। इन उपायों के परिणामस्वरूप, न केवल राजस्व संग्रह की दक्षता बढ़ी, बल्कि जनता का प्रशासन में विश्वास भी मजबूत हुआ। शेरशाह सूरी के इन प्रशासनिक कदमों ने समय के अनुप्रयोग में पारदर्शिता की महत्ता को रेखांकित किया, और बाद में विकसित भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण किया।

4.3. क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के साथ समन्वय

शेरशाह सूरी के प्रशासन में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के मध्य प्रभावी समन्वय का विशिष्ट महत्व रहा है, जिसने प्रशासन की कार्यकुशलता और स्थिरता को सुनिश्चित किया। उन्होंने प्रशासनिक विभाजन का ऐसा प्रणालीगत ढांचा विकसित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का स्वतंत्र परिचालन संभव था जबकि सभी को केंद्रीय नियंत्रण से जोड़ा गया। इस प्रणाली का मूल आधार स्थानीयस्तरीय अधिकारियों को स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ देशभर में समान दिशानिर्देश और नीति को लागू करना था।

प्रत्येक क्षेत्र को विशेष अधिकार क्षेत्र और संसाधनों के साथ विभाजित किया गया, जिससे उनकी आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्यवाही हो सके। किन्तु, इन इकाइयों का केंद्रीय नियंत्रण के साथ समन्वय भी बनाए रखना आवश्यक था ताकि प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन या विक्षेप न हो। तत्कालीन प्रशासन ने इस आवश्यकता को समझते हुए, जनप्रतिनिधि और राज्य स्तरीय अधिकारियों के मध्य संवाद एवं समन्वय व्यवस्था स्थापित की, जिससे सूचनाओं का प्रवाह और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक चुस्त और पारदर्शी हो सकी।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि इन क्षेत्रीय इकाइयों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु नियमित बैठकें और रिपोर्टिंग प्रणालियों का प्रवर्तन किया गया। इससे न केवल प्रशासनिक निर्णयों की एकरूपता बनी रही, बल्कि स्थानीय समस्याओं का समय पर समाधान भी संभव हुआ। इस प्रणाली का अनुसरण आधुनिक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है, जहां क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी संस्थानों का सहयोग आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार, शेरशाह सूरी का इस संयुक्त समन्वय का प्रयास प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीला एवं प्रभावी बनाने में मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

5. आधुनिक भारतीय प्रशासनिक संरचना पर दायरेदार प्रभाव

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका शासनकाल भूमि प्रबंधन, कराधान प्रणाली, एवं प्रशासनिक संरचना के स्थायित्व एवं पारदर्शिता को मजबूत बनाने के लिए की

गई नीतियों का गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि वे मध्यकालीन सत्ता के सीमित क्षेत्र एवं सैन्य आश्रित संरचना के प्रत्युत्तर थे, उनके सुधार बीसवीं सदी में आधुनिक भारतीय प्रशासन के सूत्रधार बने। विशेष रूप से, कर संग्रह की पारदर्शी व्यवस्था, विस्तृत अभिलेखीय प्रणाली, तथा स्थानीय प्रशासन की पुनर्संरचना ने संस्थागत दक्षता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया। इन सुधारों से प्रेरित होकर, ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक विरासत को मजबूत आधार मिला, जिसमें क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के तंत्र और त्वरित निर्णय प्रणाली का समावेश था। स्वतंत्र भारत ने इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी संस्था के लिए स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त किया। अतः, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक नीतियां तथा उनकी दीर्घकालिक दृष्टि भारतीय प्रशासन की आधुनिक परंपरा का आधार बनीं, जो आज भी लचीलेपन एवं जवाबदेही के मोर्चे पर स्थिरता प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार, उनके सुधारों ने भारतीय प्रशासनिक ढांचे को न केवल कालक्रमिक रूप से मजबूत किया, बल्कि मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों के विकास में भी सहायक सिद्ध हुए।

5.1. मुगल-पूर्व और अतःकालीन अनुभव से सीख

मुगल-पूर्व तथा अतःकालीन अनुभवों से प्राप्त शिक्षाएँ आधुनिक भारतीय प्रशासन एवं भू-राजस्व प्रणाली के आधारशिला रहीं। इनमें सबसे पहले, स्वायत्तता एवं स्थिरता बनाए रखने हेतु जिला और प्रांतीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन की विविध विधियों का प्रयोग महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रवृत्ति का उद्देश्य था कि केंद्र और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच संतुलन बना रहे, जिससे शासन संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित हो सके। साथ ही, अनुभव ने यह भी स्पष्ट किया कि करराधान एवं राजस्व संग्रह में संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता आवश्यक है। जिससे करदाता के हितों का सम्मान और कर प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे।

मुगलकालीन व्यवस्था में भू-स्वामित्व का मापदंड और कर निर्धारण की प्रक्रिया अत्यंत वैज्ञानिक और स्थिर थी। इसने भू-स्वामियों को स्वामित्व का अधिकार देते हुए कर राजस्व का पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित संग्रह सुनिश्चित किया। इस प्रणाली का स्वरूप विस्तार से अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया गया कि करों का निर्धारण मानकीकृत और क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप हो, जिससे कर निर्धारण में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का समावेश हुआ। इन अनुभवों ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अभिलेख और लेखापरीक्षा व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये प्रणाली भ्रष्टाचार और अनियमितता से संरक्षण प्रदान करती थी, साथ ही दीर्घकालिक योजना बनाने में भी सहायक सिद्ध होती थी।

स्थानीय प्रशासन की मजबूती पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें तहसीलदार, गाँव के प्रमुख और वजीर जैसे पद और उनके कार्यक्षेत्र की स्पष्ट परिभाषाएँ शामिल थीं। इन व्यवस्थाओं ने शासन के चुस्त-दुरुस्त संचालन का आधार प्रस्तुत किया। अतःकालीन अनुभवों में साझा कर व्यवस्था का बहुउद्देशीय दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो न केवल कर संग्रह बल्कि सामाजिक समरसता और स्थिरता का भी मार्ग प्रशस्त करता था। इन सभी कड़ियों ने प्राचीन एवं मध्यकालीन शासन प्रणालियों से प्राप्त बारीकियों एवं चुनौतियों का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिससे आधुनिक प्रशासन का आधार सुदृढ़ और सुव्यवस्थित हुआ।

5.2. ब्रिटिश राज के प्रारम्भिक प्रशासन पर प्रभाव

ब्रिटिश राज के प्रारंभिक शासनकाल में शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित प्रशासनिक संस्थानों और नीतियों का प्रभाव भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शेरशाह की तर्ज पर ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय शासन और करराधान व्यवस्था को संरचित करने का प्रयास किया, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई। विशेष रूप से, भूमि-स्वामित्व के मानकीकरण और कर निर्धारण प्रक्रिया में सूरी प्रणाली का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजस्व संग्रह के तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नई व्यवस्थाएँ विकसित कीं, जिनमें विवाद समाधान और निरीक्षण प्रणालियों को मजबूत किया गया। इसके साथ ही, क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों का सृजन और स्थानीय अधिकारियों के चयन का आधार सूरी प्रणाली से प्रेरित था, जिससे केंद्र और क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय संभव हुआ। ब्रिटिश प्रशासन ने सूरी के स्थायी करराधान ढांचे को बढ़ाते हुए, समय के साथ इसमें सुधार किए और व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी। इस दौरान, उन्होंने प्रशासन के अभिलेखीय रिकॉर्ड को संकलित कर अभिलेखागार स्थापित किए, जिससे दीर्घकालिक योजना और लेखापरीक्षा की प्रक्रिया का आधार मजबूत हुआ। सूरी व्यवस्था का केंद्रीय नियंत्रण और दीर्घकालिक योजना का आधार ब्रिटिश प्रशासन के सामंजस्यपूर्ण विकास में सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक प्रयोगों का आधार लेकर ब्रिटिश शासकों ने भारतीय प्रशासन को नए आयाम दिए, जो आज भी आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव बन चुके हैं।

5.3. स्वतंत्र भारत के लिए सुरक्षित संस्थागत विरासत

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक प्रावधान एवं सुधारों ने स्वतंत्र भारत में स्थायी संस्थागत विरासत प्रदान की। उनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों में न्यायसंगत कराधान व्यवस्था, स्पष्ट भू-स्वामित्व संरचना एवं प्रभावी प्रशासनिक अभिलेख प्रणाली सम्मिलित हैं, जो स्वतंत्र भारत के मानक प्रशासनिक ढांचे के आधार बने। शेरशाह का ध्यान शासन की प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता पर था, जिससे प्राचीन राजस्व एवं प्रशासनिक परंपराओं का समन्वय हुआ। इन सुधारों ने स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करने का आधार प्रदान किया, जिससे क्षेत्रीय तथा जिला स्तरीय व्यवस्था को मजबूत किया गया। इस प्रकार, उनके प्रशासनिक सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली स्वतंत्र भारत के लिए न सिर्फ प्रेरणा स्रोत बने, बल्कि उनके अनुभवों ने स्थायी मानव संसाधन और अधिकारिक संरचनाओं का निर्माण किया। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में उनकी विरासत का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने वर्तमान अधिनियमों और शासन के आधारभूत नियमों का विकास किया, जो स्वतंत्रता के बाद भी प्रशासकीय कार्यों की आधारशिला रहे। इस विरासत ने केंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन के बीच संतुलन स्थापित करने में भी योगदान दिया, जिससे तंत्र में स्थिरता एवं पारदर्शिता आई। इन प्रभावों का परिणाम यह है कि आज के भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में शेरशाह सूरी के सुधारों का गहरा प्रभाव दिखता है, जो न केवल ऐतिहासिक बल्कि आधुनिक प्रशासनिक चिंतन का भी आधार स्वरूप हैं।

6. आलोचनात्मक विश्लेषण और संविधात्मक सीमाएँ

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का विश्लेषण कठोर आलोचना एवं संविधात्मक सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। उनके सुधारों ने निश्चित रूप से तत्कालीन राजसत्ता की स्थिरता एवं प्रशासनिक दक्षता को विकसित किया, लेकिन इनमें कई प्राकृतिक सीमाएँ भी थीं। सबसे पहले, एकीकृत एवं सुव्यवस्थित भू-राजस्व प्रणाली का निर्माण उच्च स्तर की केंद्रितता एवं तकनीकी योग्यता की अपेक्षा करता है, जिसका अभाव स्वायत्तता एवं स्थानीय संदर्भों को पूर्णतः समायोजित करने में बाधक रहा। साथ ही, उनके सुधार छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाइयों का प्रशिक्षण एवं संसाधनों पर निर्भर था, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता के साथ-साथ संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित नहीं हो पाया।

अंत में, शेरशाह सूरी की व्यवस्था का पुरजोर अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्णतः संविधात्मक स्वायत्तता एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को परे रखता है। अतः, उनके सुधारों का प्रशंसनीय योगदान होते हुए भी, इनकी निष्पक्षता एवं स्थिरता पर निरंतर परीक्षण की आवश्यकता है। इन सीमाओं का यथार्थ विश्लेषण ही आधुनिक प्रशासन की संवैधानिक स्थापना में उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

7. निष्कर्ष

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार भारतीय प्रशासनिक संरचना का आधारभूत आत्मसात् करने योग्य पहलू प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा विकसित व्यवस्थाओं ने न केवल तत्कालीन राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, बल्कि वर्तमान आधुनिक प्रशासनिक ढांचे पर भी दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ा। उनके सुधारों ने कर व्यवस्था में पारदर्शिता एवं पारंपरिक प्रथाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य किया, जिससे क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय को बल मिला। वे दीर्घकालिक सोच, केंद्रीकृत नियंत्रण और प्रशासनिक अभिलेखों का महत्वपूर्ण प्रबंधन, इन सब पर विशेष ध्यान देते थे। इस प्रेरणा से स्वतंत्र भारत में स्थायी प्रक्रिया एवं संस्थान स्थापित हुए, जिनके आधार पर नई स्वायत्त व्यवस्था का विकास हुआ। हालांकि, इन सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा आवश्यक है, जिसमें उनकी सीमाएँ एवं अनुपस्थिति के चलते उत्पन्न विवादों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार आधुनिक भारत की प्रशासनिक विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं, जिनसे सीख लेकर वर्तमान समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। उनकी दूरदर्शिता एवं कार्यपद्धति ने शासन प्रणाली को अधिक प्रभावशाली एवं स्थिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी भारतीय प्रशासन की नींव का आधार है।

Author's Declaration & Publication Consent:

The author(s) declare that the manuscript is original, accurate to the best of their knowledge, and does not knowingly infringe any copyright, privacy, or other third-party rights. All necessary permissions, ethical approvals, disclosures, and consents, where applicable, have been obtained. The

author(s) accept responsibility for the content, data, interpretations, conclusions, authorship, and compliance with applicable research and publication ethics. Any conflicts of interest and funding sources have been appropriately disclosed. The author(s) authorize the Journal and Publisher to publish and disseminate the article under the Creative Commons AttributionNoncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Reference

संदर्भ सूची

1. चंद्र, एस. (2005). मध्यकालीन भारत: सल्तनत से मुगलकाल तक, भाग दो—मुगल साम्राज्य, 1526–1748. हर-आनंद पब्लिकेशंस.
2. हबीब, आई. (1999). मुगल भारत की कृषि एवं भू-राजस्व व्यवस्था, 1556–1707, द्वितीय संशोधित संस्करण). ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. मट्टा, बी. ए. के. (2005). शेरशाह सूरी: एक नवीन दृष्टिकोण. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
4. कानूनगो, के. आर. (1965). शेरशाह और उसका युग. ओरिएंट लॉन्गमैन्स.
5. रिचर्ड्स, जे. एफ. (1993). मुगल साम्राज्य. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
6. सरवानी, ए. के. (1964). तारीख-ए-शेरशाही, (एस. एम. इमामुद्दीन, संपा.). यूनिवर्सिटी ऑफ़ ढाका.
7. श्रीवास्तव, ए. एल. (1950). शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी, 1539–1545 ई. बी. एल. जैन.
8. धर्मपाल. (2025). शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार और उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का अध्ययन. International Journal of Research in Special Education, 5(1), 215–217. <https://doi.org/10.22271/27103862.2025.v5.i1c.123>
9. शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार और उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता का अध्ययन. (2025). International Journal of Research in Special Education. <https://www.rehabilitationjournals.com/special-education-journal/archives/2025.v5.i1.C.123>
10. मेहता, जे. एल. (1986). मध्यकालीन भारत के इतिहास का विस्तृत अध्ययन: खंड 2—मुगल साम्राज्य (1526–1707)]. स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड.

Publisher's Note: The statements, opinions, findings, interpretations, and conclusions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Journal, its Editors, Editorial Board, reviewers, or Publisher. Responsibility for the accuracy, integrity, and scholarly content of the article rests primarily with the author(s). The Journal, Editors, and Publisher exercise reasonable editorial and ethical oversight in accordance with the Journal's established policies. However, to the extent permitted by applicable law, they shall not be responsible for any consequences arising from the use, application, or interpretation of the information contained in the article. The Publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.